

# प्रेस नोट दिनांक-21.09.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

□ पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना चकिया पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

□ थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 05 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

□ अपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आतंक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

□ इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है अवैध मादक पदार्थ की तस्करी जैसे अपराध कारित करते है।

**चंदौली:-** पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना चकिया क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर गैंग लीडर हरिहर यादव पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली व सदस्यगण 1. छोटू राय पुत्र मुल्लन राय निवासी भालू बुढन थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार 2. घनश्याम राजभर पुत्र भुल्लन राय निवासी भगरना थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार 3. मो0आरिफ पुत्र अली हसन निवासी बेलखरा थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर 4. सोनू कुमार पुत्र मुन्नीपाल सिंह निवासी धौरी थाना अकराबाद जनपद अलीगढ के विरुद्ध दिनांक 21.09.2024 को मु0अ0स0 166/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**अभियुक्तगण का विवरण-**

**गैंगलीडर-**

1. हरिहर यादव पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली।

**सदस्य-**

1. छोटू राय पुत्र मुल्लन राय निवासी भालू बुढन थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार

2. घनश्याम राजभर पुत्र भुल्लन राय निवासी भगरना थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार

3. मो०आरिफ पुत्र अली हसन निवासी बेलखरा थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर
4. सोनू कुमार पुत्र मुन्नीपाल सिंह निवासी धौरी थाना अकराबाद जनपद अलीगढ

**गैंग लीडर व सदस्यों का अपराधिक इतिहास-**

- 1-मु०अ०सं०-166/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
- 2-मु.अ.सं. 132/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

**कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-अतुल कुमार थानाध्यक्ष कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली
- 2-हे०का० सूरज कुमार कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली
- 3-का० रिजवान अली कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.09.2024

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

► □ थाना बलुआ पुलिस द्वारा 01 अन्तर्जनपदीय गौ-तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 01 राशि गोवंश किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा गौ-तस्करों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा 01 मैजिक वाहन में क्रूरतापूर्वक बांझकर वध हेतु ले जा रहे 01 राशि गोवंश को बरामद करते हुए 01 गोतस्कर किया गया गिरफ्तार।

**पुलिस कार्यवाही-**

दिनांक 20.09.2024 को थाना बलुआ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोतस्करो द्वारा 01 मैजिक वाहन में गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बलुआ के रास्ते बिहार ले जाने वाले है। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा बलुआ तिराहा ग्राम बलुआ के पास वाहनों की चेकिंग की जाने लगी। चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर मैजिक वाहन वाहन पीछे मुड़ाकर भागने का प्रयास किया किन्तु मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मैजिक वाहन को रोक लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मैजिक वाहन UP65LT2080 में क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु ले जा रहे 01 राशि गोवंश को बरामद किया गया। मौके से अभियुक्त बीरेन्द्र यादव पुत्र विजयी यादव निवासी ग्राम उदपुर थाना फुलपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-167/24 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**विवरण पूछताछ अभियुक्त:-**

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने गांव से ही गायों को एकत्र कर वाहन पर लादकर बिहार स्थित मुआव ले जाकर वध हेतु अच्छे दामों पर बेचता है। जिससे उसकी अच्छी आमदनी होती है। जिसके पैसों से अपना विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. बीरेन्द्र यादव पुत्र विजयी यादव निवासी ग्राम उदपुर थाना फुलपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष

**अपराधिक इतिहास:-**

## अभियुक्त बीरेन्द्र यादव का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-167/24 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

### विवरण बरामदगी:-

1. एक मैजिक - UP65LT2080
2. 01 राशि जिन्दा गोवंश
3. 01 मोबाइल कम्पनी M.I

### गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. व0उ0नि0 शैलेश कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौकी प्रभारी कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4. का0 चन्दन कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-21.09.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज(जू०डि०)/जेएम चकिया चन्दौली ) द्वारा दोषी 03 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1000-1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना शहाबगंज के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 12.07.1993 को धारा 147,427 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.निर्मल पुत्र सुखई 2.निठोहर पुत्र सुखई 3.पल्टू उर्फ पुल्लू पुत्र सुखई निवासीगण महडौर थाना शहाबगंज चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 35/1993 धारा थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री मनोज कुमार (पीओ) व थाना शहाबगंज के पैरोकार आरक्षी विपिन कुमार (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-21.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी (अपर सिविल जज(जू०डि०)/जेएम चकिया चन्दौली ) द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.निर्मल पुत्र सुखई 2.निठोहर पुत्र सुखई 3.पल्टू उर्फ पुल्लू पुत्र सुखई निवासीगण महडौर थाना शहाबगंज चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1000-1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

प्रेस नोट दिनांक-21.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्यामबाबू (अपर सत्र न्यायधीश/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 02 वर्ष कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना नौगढ़ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 19.03.2005 को धारा 3(1)यू0पी0गैगैस्टर एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. अशोक राम उर्फ विजय उर्फ सन्तोष पुत्र बिहारी निवासी ग्राम गोइठहरी थाना राबर्टगंज जिला सोनभद्र के विरुद्ध अपराध संख्या- 36/2005 धारा 3(1)यू0पी0गैगैस्टर एक्ट थाना नौगढ़ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना नौगढ़ के पैरोकार मुख्य आरक्षी सतीश गोयल (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-21.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री श्यामबाबू(अपर सत्र न्यायधीश/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1. अशोक राम उर्फ विजय उर्फ सन्तोष पुत्र बिहारी निवासी ग्राम गोइठहरी थाना राबर्टगंज जिला सोनभद्र को 02 वर्ष कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-21.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली ) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000-2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 21.03.2002 को धारा 3/5ए/8 गो०नि०अधि० व 11 पशु क्रु०नि०अधि० के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राम सेवक पुत्र मारकण्डेय बिन्द निवासी भोलापुर थाना धीना चन्दौली 2.टन्नु पुत्र रामकृत बिन्द निवासी उपरोक्त के विरुद्ध अपराध संख्या- 14/2002 धारा 3/5ए/8 गो०नि०अधि० व 11 पशु क्रु०नि०अधि० थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार मुख्य आरक्षी उमेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-21.09.24 को पीठासीन अधिकारी (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली ) द्वारा अभियुक्तों 1.राम सेवक पुत्र मारकण्डेय बिन्द निवासी भोलापुर थाना धीना चन्दौली 2.टन्नु पुत्र रामकृत बिन्द निवासी उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000-2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

प्रेस नोट दिनांक-21.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 15.07.2002 को धारा 380,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.छोटे लाल पुत्र राम सुरत निवासी बजार मोहरगंज थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 103/2002 धारा 380,411 भादवि थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार सरोज की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-21.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा अभियुक्त 1.छोटे लाल पुत्र राम सुरत निवासी बजार मोहरगंज थाना बलुआ जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।



प्रेस नोट दिनांक-21.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी 03 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 31.05.2014 को धारा 323,504,506 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.पार्वती गिरी पत्नी बादाम गिरी 2.सुनील गिरी पुत्र बादाम गिरी 3.राजू गिरी पुत्र बादाम गिरी निवासीगण बैराठ थाना बलुआ चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 71/2014 धारा 323,504,506 भादवि थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार सरोज की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-21.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा अभियुक्त 1.पार्वती गिरी पत्नी बादाम गिरी 2.सुनील गिरी पुत्र बादाम गिरी 3.राजू गिरी पुत्र बादाम गिरी निवासीगण बैराठ थाना बलुआ चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट-दिनांक: 21.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 21.09.2024 को कुल 237 वाहनों का चालान करते हुए 3,57,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

**चन्दौली-** पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 237 वाहनों का चालान करते हुए 3,57,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरुद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरूक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गों, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरूक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

**क्रम संख्या यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार चालान की संख्या**

1. मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-13
2. बिना हेलमेट-83
3. बिना लाइसेंस -03
4. बिना इंश्योरेंस-17
5. गलत नंबर प्लेट- 09
6. यातायात नियमों का उलंघन-77
7. मोबाइल का प्रयोग - 02
8. बिना फिटनेस-01
9. सेफ्टी बेल्ट-05
10. अन्य-27

**यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 21.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरण:-**

**(1)संपूर्ण चालान:-237**

**(2)संपूर्ण कारित राजस्व:- 3,57,000/- रूपयें।**